न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा
पीठासीन अधिकारी श्री चिम्मनलाल मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई

वाद संख्या–160/2016

1. गंगाबिशन उम्र 62 वर्ष पुत्र किशनलाल
2. सीताराम उम्र 60 वर्ष पुत्र किशनलाल
3. पूरणमल उम्र 65 वर्ष पुत्र मूलचन्द
4. भागचन्द उम्र 60 वर्ष पुत्र मूलचन्द
5. श्रामप्रसाद उम्र 58 वर्ष पुत्र मूलचन्द

–: वादीगण

बनाम

1. जयसिंह उम्र 40 वर्ष पुत्र मु. बदरी
2. जयसिंह उम्र 40 वर्ष पुत्र कंवरिया
3. धारासिंह उम्र 30 वर्ष पुत्र कवरिया
4. दशरथ उम्र 25 वर्ष पुत्र कवरिया
5. तीजो उम्र 65 वर्ष पत्नि कवरिया
6. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा बांदीकुई
7. शाखा प्रबन्धक केनरा बैंक शाखा बांदीकुई
8. शाखा प्रबन्धक बैक ऑफ बडौदा शाखा बांदीकुई
9. राज. सरकार भू स्वामी जरिये उपतहसीलदार उपतहसील बांदीकुई जिला दौसा।

–: प्रतिवादीगण

दावा उद्घोषणा दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड व स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक निर्णय–23.02.2018

वादीगण द्वारा एक वाद पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षेप मे तथ्य निम्न प्रकार है :–

1. यह है कि वाद पत्र के जिम्मन 1 मे भूमि खतौनी संख्या नई 191 पुरानी 239 संवत 2072 से 2075 के ख.नं. 1503 लगायात 1513 खसरा नम्बर 1516 लगायत 1520, खसरा नम्बर 1529 लगायत 1535 ख.नं. 1572 कुल किता 24 कुल रकबा 7.50 है0 वार्षिक लगानी 252 रूपये 21 पैसे वाके रामा कीरतपुरा तहसील बसवा जिला दौसा

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

राजस्थान मे स्थित है। जिसमे वादीगण संख्या एक व दो का हिस्सा 1/3 तथा वादीगण संख्या तीन लगायात पांच का हिस्सा 1/3 है, जिसे आगे चलकर भूमि मुतदाविया के नाम से संबोधित किया गया है।

2. यह है कि भूमि मुतदाविया मे से वादीगण संख्या एक व दो के पिता किशनलाल पिसराम रेवड व वादी संख्या तीन लगायत पांच के पिता मूलचन्द पिसरान रेवड के द्वारा दिनांक 8.2.1991 को जरिये विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या एक का तथा प्रतिवादीगण संख्या दो से चार के पिता तथा प्रतिवादी संख्या पांच के पति का हिस्सा 1/10 मे से 2/3 हिस्सा क्रय कर लिया था, जिसका नामान्तकरण संख्या 448 वादीगण के पिता के नाम जमाबन्दी संवत 2056–2059 मे इन्द्राज दर्ज हुआ था लेकिन संवत 2063–63 जमाबंदी बनाते समय कवरिया, बदरी पिसराम रामकिशन हिस्सा 1/10 दर्ज हो गया, जबकि नामान्तकरण संख्या 123 दिनांक 7.8.2003 के द्वारा संवत 2063–63 की जमाबन्दी मे ही किशनलाल के बजाय गंगाबिशन, सीताराम पिसरान किशनलाल के नाम विरासत के नामान्तकरण का नोट लगा हुआ होना वादपत्र मे अंकित किया हुआ है जबकि जमाबन्दी संवत 2060 के बाद से ही वादीगण का नाम जमाबन्दी खतौनी संख्या 147 मे से हजफ कर दिया। जिसे वादीगण शुद्व करवाकर अपना नाम बतौर खातेदार दर्ज करवाने चाहते है।

3. यह है कि वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर बहक वादीगण बर खिलाफ प्रतिवादीगण इस बिनाय का डिक्री पारित किये जाने हेतु इस्तदुआ कि व वादीगण के कब्जे काश्त तथा क्रयशुदा भूमि खतौनी संख्या नई 191 पुरानी 239 संवत 2072–75 वाके रामा कीतरपुरा तहसील बसवा जिला दौसा का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के हिस्सा 1/10 मे से वादीगण संख्या 1 व 2 का हिस्सा 1/3 तथा वादीगण 3 लगायत 5 का हिस्सा 1/3 बतौर खातेदार दर्ज किये जाने हेतु जरिए वाद पत्र निवेदन किया।

4. वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत करने पर प्रतिवादी को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने पर एकतरफा कार्यवाही की गई व साक्ष्य वादीगण ली जाकर वादपत्र मे बहस वकील वादीगण सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए दावा वादीगण डिक्री किये जाने की बहस की।

23

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

तहसीलदार बसवा से वाद पत्र के क्रम मे रिपोर्ट तलब कीं गई जिसमे गत ख.नं. 142/1 रकबा 29 बीघा 13 बिस्वा के खातेदार कवरिया पुत्र रामकिशन, जयसिंह पुत्र बद्री ने अपने हिस्सा 1/10 का 2/3 भाग मूलचन्द किशनलाल पिसरान रेवड को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 8.2.1991 को विक्रय किया था जिसका नामान्तकरण संख्या 48 दर्ज कर दिया था। उसी समय भू प्रबन्ध विभाग के कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण खतौनी बन्दोबस्त संवत 2052–71 की खतौनी संख्या 123 मे दर्ज उक्त खसरा नम्बर 142/1 के नवीन खसरा किता 24 रकबा 7.50 है0 मे उक्त क्रेता का नाम सही दर्ज होकर आना अंकित किया है व 2054–57 की जमाबन्दी खाता संख्या 124 मे जमाबन्दी मे उक्त भूमि पुनः बिना किसी अंकन के क्रेता कवरिया पुत्र रामकिशन, जयसिंह पुत्र बद्री के नाम सम्पूर्ण हिस्सा 1/10 दर्ज हो गया। विक्रेता का पुनः नाम दर्ज होने का कोई कारण अंकित नही किया गया। इसके पश्चात नवीन जमाबन्दी संवत 2056–59 के खाता संख्या 130 मे क्रेता मूलचन्द, किशनलाल पिसराम रेवडया हिस्सा 2/3 कवरिया पुत्र रामकिशन, जयसिंह पि.मु. बदरी हिस्सा 1/3 दर हिस्सा 1/10 दर्ज हो गया जो सही है। इसके पश्चात नवीन जमबान्दी 2060–63 के खाता संख्या 147 मे उक्त हिस्सेदारों को पुनः बिना किसी कारण बताकर कंवरिया बद्री पिसराम रामकिशन हिस्सा 1/10 दर्ज कर दिया। इसमे यह गौर करने की बात है कि भूमि के क्रेताओं का नाम तो हटा दिया गया एवं पूर्व के खातेदार जयसिंह पि.मु. बद्री का नाम पुनः दर्ज कर दिया जो बिल्कुल गलत है। संवत 2068–71 की जमाबन्दी मे उक्त मृतक बद्री की पुनः नवीन विरासत कंवरिया के पुत्र क्रमशः जयसिंह, धारासिंह, दशरथ पिता कंवरिया तीजो बेवा कंवरिया हिस्सा 1/10 दर्ज कर लिया। इसके पश्चात नवीन खातेदारों ने अपने अपने हिस्से की भूमि रहन कर दी गई जिसे उपरोक्त रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार बसवा ने गलत होना बताया है।

हमने प्रस्तुत वाद पत्र तथा वाद पत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । विक्रय पत्र 8.2.1991 का अवलोकन किया। बहस वकील वादीगण सुनने के बाद एवं तहसीलदार बसवा की प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन एवं मनन करने के पश्चात गुण-अवगुण के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादीगण

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

(4)

के कब्जेकाश्त की कयशुदा भूमि खतौनी संख्या नई 191 पुरानी 239 संवत 2072–75 वाके रामा कीरतपुरा तहसील बसवा का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए वादी संख्या एक व दो गंगाबिशन, सीताराम पिसरान किशनलाल को हिस्सा 1/3 दर हिस्सा 1/10 एवं वादी संख्या तीन लगायत पांच पूरणमल, भागचन्द, रामप्रसाद पिसराम मूलचन्द को हिस्सा 1/3 दर हिस्सा 1/10 एवं शेष हिस्सा प्रतिवादीगण 1 ला0 5 का रहेगा। पर्चा डिकी जारी हो। निर्णय आज दिनांक 23.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद पूर्ति जाब्ता दाखिल दफतर हो।

23/2/18

(चिम्मनलाल मीना)
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई